प0सं0–वि0व0संग्रह/(18–19)/ 1339 /वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(संग्रह अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉक :: 22, मार्च, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय : <u>बकाया वसूली के ऑकड़ों के आफलाइन (प्रारूप–1, आच्छादित बकाया) व ऑनलाइन (व्यास पोर्टल) में शुद्धता तथा एकरूपता, निष्प्रयोज्य/अनुरक्षण अवधि व्यतीत अभिलेखों के विनष्टीकरण/बीडिंग/कार्यालय की स्वच्छता के सम्बन्ध में</u>।

आप अवगत हैं कि बकाया वसूली के ऑकड़ों के आफलाइन (प्रारूप–1 आच्छादित बकाया) व ऑनलाइन (व्यास पोर्टल) में शुद्धता तथा एकरूपता के लिए लगातार मुख्यालय से निर्देश दिये जा रहे हैं, जिससे बकाया के ऑकड़ों को शुद्ध व प्रभावी अनुश्रवण किया जा सके। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि बहुत सारे अभिलेख जो समय के साथ निष्प्रयोज्य हो गये हैं अर्थात उनको रखने की निर्धारित अवधि बीत चुकी है, इसके बावजूद अभी तक उनकी बीडिंग नहीं हुई और अभी भी कार्यालय में पड़े हैं जिससे एक तरफ जहॉ कार्यालयों में निष्प्रयोज्य सामग्री की भरमार है, वहीं पर स्टाफ को बैठने के लिए स्थान की उपलब्धता का भी अभाव है। निष्प्रयोज्य वस्तुओं/अभिलेखों के मध्य बैठने से कार्मिकों की कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

जहॉ तक पूरे प्रदेश में बकाया वसूली के ऑकड़ों की शुद्धता का प्रश्न है, 1 फरवरी 2019 को व्यास पोर्टल व एम0पी0आर0 में रू0 6640 करोड़ की धनराशि का अन्तर था जिसका चार्ट निम्नवत है :–

व्यास पोर्टल की स्थिति		एम0पी0आर0 की स्थिति		अन्तर	
आर0सी0 की संख्या	धनराशि	आर0सी0 की संख्या	धनराशि	आर0सी0 की संख्या	धनराशि
716654	24456	399789	17816 करोड़	316865	6640 करोड़

विभागीय वसूली के जनपदों में दिनांक 01.02.2019 को संयुक्त जांच के 10381 मामले व अपलेखन 9397 मामले कई वर्षों से लम्बित दिखाये जा रहे हैं। इसी प्रकार माह दिसम्बर, 2018 में कराये गये निरीक्षण में यह तथ्य भी पाया गया कि मुख्यालय के निर्देशों के बावजूद बहुत सी धनराशि बकाया के अभिलेखों (आर–3, आर–27) में ऐसी है, जिसको विभागीय व्यास पोर्टल पर अभी तक फीडिंग नही किया गया है जो एक गम्भीर स्थिति का सूचक है। यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में मुख्यालय के पत्रांक–वि0व0संग्रह/91/दिनांक 03.05.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार 15 मई, 2017 तक समस्त बकाया धनराशि की फीडिंग व्यास पोर्टल पर पूर्ण की जानी थी। व्यास पोर्टल पर बकाया धनराशि की फीडिंग से पत्रावलियों पर निर्भरता कम होगी, ऑकड़ों की शुद्धता बढ़ेगी तथा अनुश्रवण में भी आसानी

होगी और भविष्य में आफलाइन विवरणों/एम0पी0आर0 को समाप्त कर व्यास पोर्टल पर प्रदर्शित ऑकड़ों के आधार पर ही अनुश्रवण किया जा सकेगा।

अतः बीडिंग के सम्बन्ध में **मैनुअल खण्ड–3 भाग–1 के पैरा 373 से 382** तक को इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि माह अप्रैल/मई, 2019 में अभियान चलाकर निष्प्रयोज्य पत्रावलियों/अभिलेखों को नियमानुसार बीडिंग कराकर कार्यालय को स्वच्छ किया जाए और बकाया के समस्त ऑफलाइन ऑकड़ों को व्यास पोर्टल पर अपलोड/फीडिंग कराते हुए मासिक प्रारूप 1 तथा व्यास पोर्टल के ऑकड़ों में एकरूपता लायी जाय। बकाया के ऑकड़ों का विभिन्न अभिलेखों (आर–3, आर–27, अमीन रजिस्टर) से मिलान पूर्ण कराते हुए बकाया अभिलेखों में दर्ज ऐसी धनराशि जिसका अभी तक व्यास पोर्टल पर फीडिंग किया जाना अवशेष है, की फीडिंग, ऑफलाइन व ऑनलाइन ऑकड़ों में एकरूपता, संयुक्त जांच व अपलेखन के मामलों का नियमानुसार निस्तारण, तथा कार्यालय की स्वच्छता/बीडिंग आदि के बिन्दु पर उक्त अवधि में किये गये कार्यों का निरीक्षण माह जून, 2019 के प्रथम सप्ताह में मुख्यालय से नामित उच्चाधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का प्राथमिकता से समयबद्ध पालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोक्त

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ